प्रसारण परिषद् गठित किये जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन सुझावों को स्वीकार करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सार्वजनिक निगमों को प्रसारण के अधिकार देने की स्कीम को कार्यरूप देने के संबद्ध उपलब्ध विकल्पों पर सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त कानून के जरिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है जिसके सदस्य ईमानदार और ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हों । इस प्राधिकरण को भारतीय प्रसारण परिषद् कहा जा सकता है । इस परिषद् को अन्य बातों के साथ-साथ, लाइसेंस जारी करने, कार्यक्रमों की मानिटरिंग करने, गुणवत्ता निर्धारण और शिकायतो का समाधान करने का दायित्व सौंपा जा सकता है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रसारण परिषद् से संबंधित प्रावधानों को प्रसार-भारती अधिनियम से निकालकर नये कानून का अंग बना दिया जाये ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

आकाशवाणी के रत्नागिरि केन्द्र के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

3225. श्री विश्वास राव रामराव पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के रत्नागिरि केन्द्र के कार्यकरण के बारे में नागरिकों और वहां के कर्मचारियों ने अनेक शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई छानबीन कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :(क) से (ग) आकाशवाणी, रत्नागिरि के केन्द्र निदेशक को कार्यप्रणाली के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उनकी जांच की की गयी है । केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी रत्नागिरि का जनहित में, प्रशासनिक आधार पर, पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है ।

Appointment of retiring persons in Information & Broadcasting Ministry as consultants

3226. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ministry of Information & Broadcasting have appointed retiring Government servants as consultants in the Cadres of Section Officer and CSSS Grade 'B';

(b) If so. the number of such Consultants and the special job for which they have been re-employed;

(c) whether it is also a fact that their reappointments have closed the doors of promotion for other persons in the respec tive cadres who are retiring in the next six months to one year; and

(d) if so, what steps Government pro pose to take to save the retiring persons for recurring loss in their retiring pension?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) Yes, Sir, two officers of CSS and CSSS were apointed on

1-5-1990 and 1-8-1991 as Consultants in the Ministry of Information and Broadcasting after their superannuation. The Ministry's protocol, work relating to cultural exchange programmes, media coordination for sensitive States, *to* handle the matters relating to Prasar Bharati etc. necessitated the said appointments.

(c) and (d) In view of the reply of (a) & (b) above, there is no question of closing the doors for promotion for other persons and for the officials who are retiring in the next six months to one year. Before considering appointment of Consultants, these aspects are adequately taken care of.

3227. *[Transferred to the 25th December,* 1991.]

किसी धारावाहिक में कड़ियों की संख्या का बढ़ाया जाना

3228. **श्री अजीत जोगी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 5 दिसम्बर, 1991 को राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न 1412 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन धारावाहिकों की कितनी-कितनी कड़ियां बढ़ाये जाने की अनुमति दी गई ; और

(ख) इस तरह की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित धारावाहिको की कड़ियां बढ़ाई गई । उन्हें पुन: प्रसारित किया गया (अतिरिक्त कड़ियां कोष्ठक में दर्शायी गयी हैं) :—

रामायण (26+39 उत्तर रामायण के लिए), महाभारत (39), कर्मभूमि (4), कहां गये वे लोग (13), जिंदगी (13), मनोरंजन (7), और भी हैं राहें (6), बहादुर शाह जफर (1), चुनौती (9), कथा सागर (13), मालगुडी डेज (13), विक्रम टाइम (21), हिमालय दर्शन (13), अदालत (13), सुनील गावस्कर प्रेजेन्टस (13), उड़ान (19), कशमकश (13), एक कहानी (13), मैला आंचेल (2), गुल गुलशन गुलफाम (19), टीपू सुल्तान की तलवार (20) और बागल की दुनियां (13) ।

(ख) इन धारावाहिकों की कड़ियां बढ़ाने/उनका पुन: प्रसारण करने की मंजूरी उनकी निहित उत्कृष्टता, लोकप्रियता तथा कथा के प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए दी गई थी ।

Teletext service to the viewers of Bombay

3229. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that English News on Doordarshan in the night is frequently delayed;

(b) if so, what steps are being taken by Doordarshan to telecast the News on time;

(c) whether there is any proposal to. provide tele-information (Teletext) to viewers in Bombay, on the 'Second channel, on the pattern as provided to viewers in Delhi;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) Yes, Sir, on some occasion.

(b) Constant efforts are being made by Doordarshan to adhere to the scheduled time of their telecast.

(c) to (e) At present there is no proposal to extend the Teletext Service to Bombay Kendra on account of resource constraints.

दूरदर्शन पर प्रश्नकाल दिखाए जाने पर होने वाला खर्च

3230. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा संसद् के प्रश्न-काल को टेलीविजन पर दिखाये जाने पर कितना खर्च हो रहा है ;